न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली)

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या–460/2017

तारीख निर्णय– 28/09/2020

प्रार्थी :–

खरताराम पुत्र खीमाराम जाति–सिरवी निवासी–अटाटीया तहसील–देसूरी जिला–पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

1. सखाराम पुत्र खीमारामजी
2. जैताराम पुत्र खीमारामजी
3. देवाराम पुत्र वगतारामजी
4. जीताराम पुत्र वगतारामजी
5. फाउडी पुत्री वगतारामजी
6. धन्नाराम गोदपुत्र गीदा
7. गमनाराम पुत्र नाथाराम
8. चेलाराम पुत्र मालाराम
9. लुम्बाराम पुत्र मालाराम
10. लालाराम पुत्र मालाराम
11. देवाराम पुत्र इन्दाराम
12. मांगीलाल पुत्र इन्दाराम
13. मोटाराम पुत्र कुपाराम
14. भीकाराम पुत्र कुपाराम
    आयु तमाम् वयस्क जातिगण–सिरवी, निवासीगण–अटाटीया, तहसील–देसूरी जिला–पाली राजस्थान
15. राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार, देसूरी (लैण्ड होल्डर)

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136राज0भू–राजस्व अधि0 1956:–

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से– वकील नारायणसिंह भाटी।

अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार तहसीलदार, देसूरी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:38:56 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न 2 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

—: निर्णय :— दिनांक— 28/09/2020

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि— प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा— 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना—इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम अणेवा पटवार क्षेत्र—लांपी तहसील—देसूरी, जिला—पाली(राज.) में स्थित कृषि भूमि आराजीयात पुराने खसरा नम्बर 61/2 रकबा 42 बीघा विद्यमान है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एवम् अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के पिता वगता की खातेदारी आधिपत्य का 1/6 हिस्सा विद्यमान था। सेटलमेन्ट होने पर उक्त पुराने खसरा नम्बर की आराजीयात के नये खसरा नम्बर 178 रकबा 1.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 180 रकबा 1.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 183 रकबा 3.1600 कुल खसरा—5 कुल रकबा—6.2400 हैक्टर लगान 122 रूपये विद्यमान है।

यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 व 5 के दादा खीमा की खातेदारी आधिपत्य का 1/6 हिस्सा विद्यमान था जो जमाबन्दी सवत् 2023—26 की प्रमाणित प्रतिलिपी से स्पष्ट है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के दादा खीमाजी की मृत्यु हो चुकी है। जिसके विधिक वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 2 तथा अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के पिता वगता चारो पुत्र है। खीमा पुत्र उदा के फौत होने पर वादग्रस्त आराजीयात में विद्यमान खातेदारी 1/6 हिस्से के हकादार उनके वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व 3 से 5 के पिता वगताजी चारों बराबर—बराबर समान रूपेण खातेदार हकदार हुये। वादग्रस्त आराजीयात में विद्यमान खीमाजी की खातेदारी के 1/6 हिस्से का विरासत फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 14.06.1967 मृत खीमा के सभी वारीसान पुत्रगण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के पिता वगताजी (सका,खरता,जैता,वगता) के नाम स्वीकृत हुआ है। प्रमाण स्वरूप नामान्तरकरण संख्या 75 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत है।

तत्पश्चात् प्रार्थी का नाम नामान्तरकरण संख्या 75 में दर्ज होने के बाद तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा लिपिकिय त्रुटि व भूल व गलती से जमाबन्दी संवत् 2027—2031 में वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के दादा खीमाजी पुत्र उदाजी की खातेदारी का सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा सिर्फ अप्रार्थी संख्या 1व 2 व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के पिता वगताजी के नाम ही दर्ज किया गया। इस प्रकार मात्र राजस्व कर्मचारियों/पटवारी हल्का इन्द्राज संबंधित लिपिकीय भूल, त्रुटि एवं गलती मात्र से प्रार्थी का नाम दर्ज होने से रह गया है जिसे हस्ब धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत् सुधारा जाकर वादग्रस्त आराजी के उक्त 1/6 हिस्सा जो वर्तमान में जमाबन्दी खतौनी में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के नाम दर्ज है उसमें प्रार्थी का भी समान हक अधिकार के रूप में [illegible] खातेदार कें खरता पुत्र खीमा, सखा पुत्र खीमा, जैता पुत्र खीमा व[illegible] पुत्र [illegible] जैता पुत्र वगता,

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:38:56 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न 3 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

फाउडी पुत्री वगता)के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का बतौर सहखातेदार के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थी 1, 2, 7, 8, 10, एवम् 14 की ओर से वकील महेन्द्र शर्मा ने वकालत नाम पेश किया तथा वकील अप्रार्थी की ओर से जबाव पेश नही करने पर जबाव का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 15 बावजुद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी सख्सा 16 सरकारी पैरोकार तहसीलदार देसूरी की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह स्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का पिता व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 का दादा खीमा के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उनकी खातेदारी भूमि में दादा खीमा की खातेदारी अधिपत्य का 1/6 हिस्सा विद्यमान था। जो जमाबन्दी संख्या 2023—26 की प्रमाणित प्रतिलिपी से स्पष्ट हैं। खीमा जी की मृत्यु हो चुकी हैं। जिसके विधिक वारीसान प्रार्थी व अप्रार्थी 1 व 2 व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के पिता वगता जी बराबर के हिस्सेदार है। वादग्रस्त आराजीयात में विद्यमान खीमाजी की मृत्यु उपरान्त खातेदारी हिस्सा 1/6 जरिये नामान्तरण संख्या 75 के द्वारा मृतक खीमा के सभी वारीसान पुत्रगण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के पिता वगता जी के नाम स्वीकृत हुआ है। जिसमें प्रार्थी का भी समान हक अधिकार के रूप में बतौर सह खातेदार है। अतः प्रार्थी का बतौर सहखातेदार के खरता, सखा, जेता पिता खीमा व मृतक वगता के विधिक वारीसान देवाराम, जीता, फाउडी के नाम किया जाना न्याय संगत है।

बहस वकुलाय उभय पक्षकार सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। मौजा ग्राम अणेवा पटवार क्षेत्र—लांपी तहसील—देसूरी, जिला—पाली(राज.) में स्थित कृषि भूमि आराजीयात पुराने खसरा नम्बर 61/2 रकबा 42 बीघा विद्यमान है। सेटलमेन्ट होने पर उक्त पुराने खसरा नम्बर की आराजीयात के नये खसरा नम्बर 178 रकबा 1.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 180 रकबा 1.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 183 रकबा 3.1600 कुल खसरा—5 कुल रकबा—6.2400 हैक्टर बने। जिसमें खीमा पिता उदाजी की खातेदारी आधिपत्य का 1/6 हिस्सा विद्यमान था जो जमाबन्दी सवत् 2023—26 की प्रमाणित प्रतिलिपी से स्पष्ट है। खीमा जी की मृत्यु के पश्चात खीमा जी की खातेदारी के 1/6 हिस्से का विरासत फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 14.06.1967 मृत खीमा के वारीसान पुत्रगण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के पिता वगताजी (सका, खरता, जैता, वगता) के नाम ही स्वीकृत किये गये। जबकि प्रार्थी [illegible] का नाम विधिक वारिसान

लगातार पेज न 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:38:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

होने के कारण बतौर सहखातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के पिता वगताजी के साथ अंकित होना चाहिए था। इस प्रकार मात्र राजस्व कर्मचारियों/पटवारी हल्का की इन्द्राज संबंधित एवं लिपिकिया भूल, त्रुटि से प्रार्थी का नाम दर्ज होने से रह गया है।

अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण से न्यायालय की राय मे विरासत नामान्तरकरण के समय कर्मचारियो/अधिकारियो की इन्द्राज संबंधित लिपिकीय त्रुटी एवं भूल व गलति से खीमा के विधिक वारिसान के खरताराम का नाम अंकित होना रह गया है। अतः धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत उक्त इन्द्राज संबंधित त्रुटी एवं गलति को दुरूस्त संशोधित किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्रहस्ब धारा– 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती हेतू आदेश दिया जाता है कि–मौजा ग्राम अणेवा पटवार क्षेत्र–लांपी तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज.) में स्थित कृषि भूमि आराजीयात पुराने खसरा नम्बर 61/2 रकबा 42 बीघा के नये खसरा नम्बर 178 रकबा 1.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 180 रकबा 1.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 183 रकबा 3.1600 कुल खसरा–5 कुल रकबा–6.2400 हैक्टर के 1/6 हिस्से मे ''सखा, जैता, वगता पिता खीमा'' के स्थान पर ''सखा, जैता, वगता, खरता पिता खीमा अंकन किया जावे। तहसीलदार, देसूरी को माफीक आदेश दुरूस्ती कर पालना रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतू अलग से तहरीर जारी की जावे।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक– 28/9/2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:38:56 IST
Reason: SelfAttested